

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 110/2025

निर्णय दिनांक : 15.07.2025

दायर दिनांक - 26.06.2025

1. देवाराम पुत्र खींयाराम जाति मेघवाल निवासी बाघसरा आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

—:निर्णय:—

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान बाघसरा आथूणा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 142 के खसरा संख्या 580 तादादी 5.7661 है0, खसरा नम्बर 806/3 तादादी 5.8167 है0 व खसरा नम्बर 808/40 तादादी 0.7587 है0 प्रार्थी की खातेदारी में 187/488 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में दयालाराम पुत्र खींवाराम दर्ज है जो अशुद्ध है, जबकि प्रार्थी का सही नाम देवाराम पुत्र खींवाराम है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का सही नाम देवाराम अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का पता दुरुस्त करवाना आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।



उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का सही नाम देवाराम अंकित है जबकि जमाबन्दी खाता संख्या 142 में दयालाराम अंकित है जो अशुद्ध है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दयालाराम की बजाय देवाराम दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।


पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम देवाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 142 के खसरा संख्या 580 तादादी 5.7661 है0, खसरा नम्बर 806/3 तादादी 5.8167 है0 व खसरा नम्बर 808/40 तादादी 0.7587 है0 में दर्ज खातेदार का नाम दयालाराम के स्थान पर देवाराम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़